

**बिहार सरकार**  
**लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग**

**संकल्प**

संख्या-11/आ०2-1069/2024- 411

पटना, दिनांक- 18/2/26

परिवादी श्री शिव रंजन शर्मा, संवेदक, जिला-औरंगाबाद एवं श्री नीरज कुमार, प्रो० राज कंस्ट्रक्शन एवं बोरवेल तथा श्री बब्लू कुमार, संवेदक द्वारा मो० शमी अख्तर, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, औरंगाबाद के विरुद्ध एकरारनामा नहीं करने एवं निविदा निस्तार में अनियमितता बरतने का आरोप लगाया गया था। परिवाद पत्रों में लगाये गये आरोपों की जाँच हेतु श्री अभय कुमार सिंह, तत्कालीन मुख्य अभियंता(रूपांकण), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दो सदस्यीय जाँच कमिटी का गठन किया गया। जाँच समिति के गै०स०प्रे०स०-18, दिनांक-01.04.2025 द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन में निम्नलिखित तथ्य प्रतिवेदित किया गया:-

(i) लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, औरंगाबाद अन्तर्गत छूटे हुए टोलों में जलापूर्ति योजना शुरू करने हेतु संवेदक के साथ एकरारनामा संख्या-SBD-08/2024-25, दिनांक-27.08.2024 को संपादित किया गया एवं कायदेशि निर्गत किया गया। उक्त एकरारनामा के तहत सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, रफीगंज द्वारा प्रथम चालू विपत्र दिनांक-22.01.2025 को मो० शमी अख्तर, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, औरंगाबाद सम्प्रति निलंबित कार्यपालक अभियंता, मुख्यालय-मुख्य अभियंता का कार्यालय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर को अग्रसारित किया गया। मो० अख्तर द्वारा लगभग 45 दिन बाद दिनांक-08.03.2025 को प्रथम चालू विपत्र का भुगतान संवेदक को किया गया। एकरारनामा से संबंधित अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि संवेदक को भुगतान मिलने में विपत्र प्राप्त होने के उपरांत भी अनावश्यक विलंब किया गया। उक्त से स्पष्ट है कि मो० अख्तर द्वारा कार्य में अतिरूची लेते हुए जानबूझ कर अनावश्यक विलंब किया गया है।

(ii) लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, औरंगाबाद अन्तर्गत SBD-05, 06, 07, 08, 253 एवं 255/2019-20 से संबंधित एकरारनामा अन्तर्गत O&M का कार्य संवेदक श्री शिव शर्मा द्वारा कराया गया, जिसका भुगतान माह जुलाई 2023 के बाद मो० अख्तर के द्वारा नहीं किया गया। श्री शर्मा द्वारा उपरोक्त वर्णित एकरारनामाओं में O&M प्रारंभ करने की तिथि एवं अंतिम O&M के भुगतान की तिथि संबंधी विवरणी निम्नवत् है:-

क्र०	एकरारनामा संख्या	O&M प्रारंभ करने की तिथि	O&M कार्य हेतु अंतिम भुगतान की तिथि
1	SBD-05/19-20	31.05.2020	31.06.2023
2	SBD-06/19-20	01.06.2020	30.07.2023
3	SBD-07/19-20	01.06.2020	30.07.2023
4	SBD-253/19-20	09.10.2020	08.07.2023
5	SBD-255/19-20	09.10.2020	08.07.2023

श्री शर्मा


/

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि संवेदक श्री शिव रंजन शर्मा द्वारा संपादित एकरारनामाओं जिसका मरम्मत एवं अनुरक्षण का कार्य श्री शर्मा द्वारा किया गया, से संबंधित भुगतान माह जुलाई 2023 के बाद नहीं किया गया, जबकि मो0 अख्तर द्वारा प्रमंडल का प्रभार 06 जुलाई 2023 को ही ग्रहण किया गया। संवेदक को इतनी लंबी अवधि से मरम्मत एवं अनुरक्षण संबंधी कार्यों का भुगतान नहीं किये जाने से संबंधित जलापूर्ति योजनाओं को मानक के अनुरूप क्रियान्वित किये जाने संबंधी विभागीय लक्ष्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। मो0 अख्तर द्वारा संवेदक को ससमय मरम्मत एवं अनुरक्षण मद में कराये गये कार्यों का भुगतान नहीं किया जाना उनके कर्तव्य के निर्वहन में लापरवाही, उदासीनता एवं अनुचित मंशा को परिलक्षित करता है।

(iii) संवेदक श्री नीरज कुमार, प्रो0 राज कंस्ट्रक्शन एवं बोरवेल, औरंगाबाद के परिवार पत्र में मो0 अख्तर, कार्यपालक अभियंता द्वारा निविदा संख्या-42/2023-24 के गुप संख्या-01 में सफल घोषित होने के बावजूद एकरारनामा नहीं किये जाने एवं 10 प्रतिशत राशि माँगने के बिन्दु पर जाँच कमिटी से प्राप्त प्रतिवेदन से विदित होता है कि संबंधित निविदा का दर बीड 24.03.2024 को ही अनुमोदित किया गया था। एकरारनामा पर मो0 अख्तर द्वारा दिनांक-30.03.2024 एवं संवेदक द्वारा दिनांक-26.08.2024 को हस्ताक्षर किया गया, जबकि एकरारनामा पर दोनों पक्षों का हस्ताक्षर एक ही दिन होना चाहिए। उक्त से स्पष्ट है कि मो0 अख्तर द्वारा एकरारनामा पर Back Date में हस्ताक्षर किया गया, ताकि एकरारनामा करने में हुए विलंब को छुपाया जा सके। अतः मो0 अख्तर द्वारा ससमय एकरारनामा नहीं करने तथा Back Date में हस्ताक्षर करना स्पष्ट रूप से निविदा संबंधी कार्यों में उनके स्तर से किये गये अनावश्यक विलंब एवं गलत मंशा को दर्शाता है।

(iv) संवेदक श्री बब्लू कुमार से प्राप्त परिवार पत्र में अंकित बिन्दु यथा कार्यपालक अभियंता द्वारा मनमाने ढंग से टैकर चलाकर रूपये की निकासी किये जाने के संबंध में जाँच कमिटी द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि लॉग बुक में टैकर के परिचालन हेतु उपयोग में लाये गये ट्रेक्टर का निर्बंधित नंबर तथा Initial Reading एवं Final Reading अंकित नहीं पायी गयी। साथ ही कई अन्य प्रविष्टियाँ भी खाली पायी गयी, जिससे स्पष्ट है कि बिना वाटर टैकर का परिचालन किये ही राशि की निकासी का प्रयास किया गया है। मो0 अख्तर का उक्त कृत्य वित्तीय अनियमितता एवं उनकी स्वेच्छाचारिता का द्योतक है।

02. दिनांक-09.04.2025 को विभागीय पोर्टल से प्राप्त PayJal Scheme Summary Report की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत यह पाया गया कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, औरंगाबाद अन्तर्गत कुल 2739 अदद योजनाओं की जाँच में 741 अदद योजनाएँ बोरिंग फेल होने, मोटर जलने, पाईप में रिसाव रहने, पाईपलाईन मिस-लिंकिंग, स्टेजिंग में त्रुटि रहने, बारम्बार विद्युत समस्याएं एवं स्टार्टर जलने आदि कारणों से तत्समय बंद पायी गयी।






03. दिनांक-09.04.2025 को Zero Office Day(ZOD) अभियान के तहत स्थल निरीक्षण के पश्चात अपलोड किये गये निरीक्षण प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, औरंगाबाद अन्तर्गत कुल 3227 अदद योजनाओं में से 121 अदद योजनाएँ बंद पायी गयी, जिसमें से मात्र 83 योजनाओं को ही मरम्मत कर चालू कराया गया है एवं मरम्मत के अभाव में 38 अदद योजनाएँ तत्समय बंद पायी गयी।

04. लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, औरंगाबाद अन्तर्गत योजनाओं के O&M हेतु आमंत्रित निविदा सूचना संख्या-NIT No.-10R2/2024-25(O&M-PRD)/औरंगाबाद के गुप संख्या-02 से संबंधित निविदा हेतु मो0 अख्तर द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में M/S N.S. INFRA PVT. LTD. को कार्य आवंटित किया गया। मो0 अख्तर के स्तर से अनुभव प्रमाण पत्र की सत्यता की जाँच कराये बिना ही M/S N.S. INFRA PVT. LTD. को कार्य आवंटित करने की अनुशंसा संबंधी आरोप एवं कतिपय अन्य आरोप के आलोक में विभागीय पत्रांक-2179, दिनांक-09.10.2025 द्वारा आरोप पत्र गठित करते हुए स्पष्टीकरण की मांग की गयी, परन्तु मो0 अख्तर के स्तर से स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराया गया, जो कि स्पष्ट रूप से उनकी लापरवाही एवं कार्यों के प्रति उनकी स्वेच्छाचारिता का द्योतक है।

05. CGRC Portal से दिनांक-06.12.2025 तक प्राप्त अद्यतन प्रतिवेदानुसार लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, औरंगाबाद अन्तर्गत कुल 216 अदद शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसमें 211 अदद शिकायतों का निष्पादन किया गया एवं शेष 05 अदद शिकायतें अभी भी लंबित पायी गयी। पूर्व से निष्पादित शिकायतों में से 49 अदद शिकायतों को Reopen किया गया, जो अभी भी लंबित है। एक से अधिक बार Reopen किये गये शिकायतों की संख्या 22 अदद है। इसके अतिरिक्त 112 अदद शिकायतों का निष्पादन विभाग द्वारा निर्धारित समय-सीमा के पश्चात किया गया है।

06. मो0 अख्तर के स्तर से CGRC Portal पर कुल 211 अदद शिकायतों को निष्पादित दिखाते हुए अनुपालन प्रतिवेदन अपलोड किया गया, जबकि विभागीय नियंत्रण कक्ष से दूरभाष पर शिकायतकर्त्ताओं से मामले का सत्यापन कराने पर कुल 49 अदद शिकायतकर्त्ताओं का Feedback असंतोषप्रद पाया गया, जिसके कारण प्रमंडलों के विभागीय रैंकिंग में औरंगाबाद प्रमंडल की स्थिति काफी खराब पायी गयी।

07. CGRC Portal पर शिकायतें लंबित रहने एवं पूर्व से निष्पादित शिकायतों के Reopen होने तथा एक से अधिक बार Reopen होने से यह स्पष्ट है कि संबंधित शिकायतों का निष्पादन विभागीय संकल्पों में निहित प्रावधानों के आलोक में समुचित रूप से निष्पादित किये बिना ही भ्रामक प्रतिवेदन अपलोड कर विभाग को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया गया है, जिसके कारण योजनाओं से संबंधित लाभुक स्वच्छ जलापूर्ति से वंचित रहे हैं। इस संबंध में दिनांक-18.11.2025 एवं इसके पूर्व भी साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठकों में मो0 अख्तर को लंबित शिकायतों का यथाशीघ्र विभागीय SOP के तहत त्वरित



निष्पादन किये जाने का निदेश दिया जाता रहा है, परन्तु इसके बावजूद उनके क्रिया-कलाप में कोई सुधार नहीं आया।

**08.** योजनाओं के बंद रहने एवं विभागीय मानक के अनुरूप योजनाओं का संचालन नहीं किये जाने एवं अत्यधिक संख्या में CGRC पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के Reopen होने/एक से अधिक बार Reopen होने से यह स्पष्ट है कि मो० शमी अख्तर, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, औरंगाबाद द्वारा विभागीय संकल्पों में निहित प्रावधानों के आलोक में योजनाओं का उचित क्रियान्वयन नहीं कराया गया है। उक्त से स्पष्ट है कि मो० अख्तर द्वारा योजनाओं का अनुश्रवण एवं निरीक्षण नियमित तौर पर नहीं किया गया है। साथ ही मो० अख्तर के स्तर से अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा एवं संवेदकों के विरुद्ध भी योजना बंद रहने के कारण एकरारनामा में वर्णित प्रावधान के अनुरूप दण्ड अधिरोपन संबंधी कोई कार्रवाई नहीं की गयी। मो० अख्तर के स्तर से निविदाओं के निष्पादन में एवं विपत्रों के भुगतान आदि में भी गंभीर लापरवाही बरती गयी है। बिना परिचालन के वॉटर टैंकर से संबंधित राशि की निकासी का प्रयास कर उनके स्तर से वित्तीय अनियमितता बरती गयी है।

**09.** मो० अख्तर का उपर्युक्त कृत्य एवं आचरण बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता में वर्णित प्रावधानों एवं बिहार सरकारी सेवक अचार नियमावली, 1976 के नियम-3(1)(i), 3(1)(ii) एवं 3(1)(iii) का स्पष्ट उल्लंघन है।


**10.** वर्णित स्थिति में सम्यक विचारोपरान्त बिहार के राज्यपाल यह आदेश देते हैं कि मो० अख्तर के विरुद्ध गठित आरोप पत्र पर बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2) के तहत विभागीय कार्यवाही संस्थित की जाय। एतदर्थ बिहार के राज्यपाल उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री अरविन्द कुमार, अपर सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को जाँच संचालन पदाधिकारी एवं श्री दीपक कुमार, उप सचिव(प्र०को०), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग(मुख्यालय), बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

**11.** आरोपित मो० अख्तर, संकल्प प्राप्ति की तिथि से 10 दिवसों के भीतर उस तिथि एवं उस समय पर, जो जाँच संचालन पदाधिकारी इस निमित्त लिखित नोटिस द्वारा विनिर्दिष्ट करें अथवा उनके द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उस अतिरिक्त 10 दिनों से अनधिक अवधि के भीतर, उनके समक्ष उपस्थित होंगे तथा इस संबंध में अपना लिखित बचाव-बयान समर्पित करेंगे।

**12.** जाँच संचालन पदाधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वे बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2) में निहित प्रावधानों के अनुसार जाँच कार्य संपन्न करेंगे तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति आरोप पत्र (अनुलग्नक सहित) के साथ मो० शमी अख्तर, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता(असैनिक), लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, औरंगाबाद सम्प्रति निलंबित कार्यपालक अभियंता, मुख्यालय-मुख्य अभियंता का कार्यालय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर/जाँच संचालन पदाधिकारी श्री अरविन्द कुमार, अपर सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग(मुख्यालय), बिहार, पटना एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी श्री दीपक कुमार, उप सचिव(प्र०को०), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग(मुख्यालय), बिहार, पटना को दी जाय।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,

✓   
16.02.26  
(संजीव कुमार)  
विशेष सचिव

ज्ञापांक-11/आ०2-1069/2024- 411

पटना, दिनांक- 18/2/26

प्रतिलिपि:-वित्त(वै.दा.नि.को.) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, औरंगाबाद/मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


✓   
16.02.26  
(संजीव कुमार)  
विशेष सचिव


ज्ञापांक-11/आ०2-1069/2024- 411

पटना, दिनांक- 18/2/26

प्रतिलिपि:-श्री अरविन्द कुमार, अपर सचिव-सह-जाँच संचालन पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग(मुख्यालय), बिहार, पटना एवं श्री दीपक कुमार, उप सचिव(प्र०को०)-सह-प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग(मुख्यालय), बिहार, पटना/ मो० शमी अख्तर, निलंबित कार्यपालक अभियंता, मुख्यालय-मुख्य अभियंता का कार्यालय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०-यथोपरि।


✓   
16.02.26  
(संजीव कुमार)  
विशेष सचिव



ज्ञापांक-11/आ०2-1069/2024- 411

पटना, दिनांक-18/2/26

प्रतिलिपि:-माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना प्रक्षेत्र, पटना/मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर/अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, सासाराम/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


  
16.02.26

✓ (संजीव कुमार)  
विशेष सचिव


ज्ञापांक-11/आ०2-1069/2024- 411

पटना, दिनांक- 18/2/26

प्रतिलिपि:-जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
16.02.26

(संजीव कुमार)  
विशेष सचिव

  
76-2-26